न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 121/2022

आरसीएमएस नं. 2022/00121

जगदेव पुत्र रामेश्वरी पत्नी बालूराम जाति तारग साकिन गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ। ——अपीलांट

बनाम

1. रानी देवी पत्नी महावीर प्रसाद जाति कुम्हार साकिन गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. अल्का पत्नी महेन्द्र कुमार पुत्री महावीर प्रसाद जाति कुम्हार साकिन गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. औमप्रकाश पुत्र भगवानाराम जाति भाट साकिन वार्ड नं. 4 पुरानी खुजा, हनुमानगढ जंक्शन हाल चक 2 केएनजे आबादी, मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ।
4. भूपराम पुत्र मानाराम उर्फ हनुमान प्रसाद जाति कुम्हार साकिन गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
5. मंवरलाल पुत्र मोहनलाल जाति भाट साकिन वार्ड नं. 10 गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमागनढ।
6. मखनाराम पुत्र मोहनलाल जाति भाट साकिन वार्ड नं. 10 गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमागनढ।
7. हंसराज पुत्र सोहनलाल पुत्र मोहनलाल जाति भाट साकिन वार्ड नं. 10 गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमागनढ।
8. ज्ञानी पुत्र सोहनलाल पुत्र मोहनलाल जाति भाट साकिन वार्ड नं. 10 गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमागनढ।
9. कालू पुत्र सोहनलाल पुत्र मोहनलाल जाति भाट साकिन वार्ड नं. 10 गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमागनढ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

10. संदीप पुत्र सोहनलाल पुत्र मोहन लाल जाति भाट साकिन वार्ड नं. 10 गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमागनढ।
11. विद्या देवी पुत्री सुरजाराम जाति भाट साकिन वार्ड नं. 4 पुरानी खुंजा, हनुमानगढ जंक्शन हाल चक 2 के.एन.जे. आबादी, मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ।
12. पंजाब नेशनल बैंक शाखा गालूवाला जरिये शाखा प्रबंधक।
13. एचडीएफसी बैंक पीलीबंगा जरिये शाखा प्रबन्धक।
14. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा, दिनांक 08.03.2022
प्र. सं. 56/2022, अनवान जगदेव बनाम रानी देवी

उपस्थितिः—
श्री राजेश दीपराय, अभिभाषक अपीलांट
श्री खुशप्रीत सिंह संधू अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1, 2, 4, 13

निर्णय दिनांक 9.12.22

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत एक प्रार्थना—पत्र पेश किया। प्रार्थना—पत्र में कथन किया कि पार्थी व तरतीबी प्रतिवादीगण प्रतिवादी संख्या 15 ता 19 की माता के नाम चक 34 एलएलडब्ल्यू के खाता संख्या 9/121 में कुल 5.413 है0 नहरी भूमि मय गैर मु0 रास्ता की कृषि भूमि है। जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 11 व 15 ता 19 की पैतृक कृषि भूमि है। जिसका घराघरू बंटवारा किया गया। घराघरू बंटवारा में मिन प्रार्थी व वाद पत्र में तरतीबी प्रतिवादी को संयुक्त रूप से प्राप्त कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 34 एलएलडब्लयू के प. नं. 26/228 के किला नं. 4 व 5 की कुल 0.190 है0 नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता कृषि भूमि प्राप्त हुई जिसका मिन प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 15 ता 19 अपने को प्राप्त कृषि भूमि पर अर्सा दराज पूर्व से अपने को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि पर

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्विवाद रूप से काश्त है। मिन प्रार्थी व वाद पत्र में तरतीबी प्रतिवादी सं0 15 ता 19 ने अपने को बंटवारा मं प्राप्त कृषि भूमि का अपने मेहनत व लगन से उपजाउ व कृषि यौगय बनाया है। प्रार्थी प्रश्नगत भूमि का खाता अलग करवाने व उसी अनुसार खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी है। लेकिन अप्रार्थीगण प्रश्नगत बंटवारा में प्राप्त भूमि को बिना खाात विभाजन करवाने रहन बैय व अन्य प्रकार से मुंतकिल करना चाहेते हैं अगर वे अपने मन्सूबों में कामयाब हो जाते हैं तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना–पत्र में वर्णितानुसार अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। विचारण न्यायलाय ने प्रकरण को दर्ज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश कतई गलत, विधि विरूद्ध, अनुचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करते हुए एक तरह से अपीलाण्ट का स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार फरमात हुए रेस्पोडेंट को प्रश्गनत भूमि को अन्तरित करने की स्वतंत्रता प्रदत्त की है। ऐसी स्थिति में आक्षेपित आदेश से अपीलांट विपरीत रूप से प्रभावित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट द्वारा याचित अनुतोष नहीं दिया गया है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र में अपने कब्जे में विशिष्ट किले मुताबिक घरू बंटवारा होने के स्पष्ट कथन किये थे। अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित कर रेस्पोडेण्ट को भूमि विक्रय करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति के बिन्दू अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के पक्ष में होना माना लेकिन इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा याचित अनुतोष नहीं दिया है। प्रश्नगत भूमि मुश्तर्का खाता की भूमि है मुश्तर्का खाता की भूमि का कोई अंश अन्तरित किया जाता है तो क्रेता तो अजनबी होगा, अपनी मन मर्जी से अच्छी से अच्छी भूमि में काबिज जो जायेगा जिससे अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए अपीलांट द्वारा याचित अनुतोष दिया जाना चाहिए था। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1, 2, 4, 13 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसे दर्ज करते हुए एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी किया गया और यह भी आदेश दिया गया था कि आगामी पेशी पर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड एवं सामान्य नोटिस प्रस्तुत नही करने तथा प्रार्थी प्रतिनिधि उपस्थिति नही होने पर अस्थाई निषेधाज्ञा की अवधि नहीं बढाई जावेगी। आदेश 39 नियम 3 की पालना सुनिश्चित हो। इस आदेश से स्पष्ट है कि उपरोक्त आदेश एकपक्षीय अन्तरिम आदेश है और स्थगन पर उभयपक्ष को सुनकर ही निर्णय किया जाना है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट/अप्रार्थीगण की तलबी नहीं करवाई गई और सीधे ही माननीय न्यायालय के समक्ष यह अपील पेश कर दी गई है। अपीलाधीन आदेश अन्तरिम आदेश है। जिसके विरूद्ध अपील नही की जा सकती है। अतः अपील अपीलाण्ट इसी आधार पर खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसे दर्ज करते हुए एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी किया गया और यह भी आदेश दिया गया था कि आगामी पेशी पर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड एवं सामान्य नोटिस प्रस्तुत नही करने तथा प्रार्थी प्रतिनिधि उपस्थिति नही होने पर अस्थाई निषेधाज्ञा की अवधि नहीं बढाई जावेगी। आदेश 39 नियम 3 की पालना सुनिश्चित हो। इस आदेश से स्पष्ट है कि उपरोक्त आदेश एकपक्षीय अन्तरिम आदेश है और स्थगन पर उभयपक्ष को सुनकर ही निर्णय किया जाना है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट/अप्रार्थीगण की तलबी नहीं करवाई गई और सीधे ही इस न्यायालय में न्यायालय के समक्ष यह अपील पेश कर दी गई है। उभयपक्ष के हक अधिकारों का निर्णय मूल वाद में तय किया जाना है। यह उचित होता कि अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थीगण की तलबी करवाई जाकर उभयपक्ष को सुनकर धारा 212 आरटीएक्ट के प्रार्थना–पत्र का अन्तिम निस्तारण होता उसके पश्चात अपील प्रस्तुत की जाती। अपीलाण्ट के पास अधीनस्थ न्यायालय में अपने तथ्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर है। उसे अपने तथ्य अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट के उपस्थित आने पर प्रस्तुत करने चाहिए। लेकिन अपीलाण्ट ने अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील पेश की है।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपीलाधीन आदेश अन्तरिम आदेश है। जिसके विरूद्ध अपील नही की जा सकती है। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के आधार अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.03.2022 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9.12.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़